पुलिस आदेश संख्या क्र 219/90 एल.पी.

विषय:- खेल-कूद/ड्यूटोमीट तथा इस स्तर से संबंधित क्षेत्रों में सर्वांगीण विकास के संबंध में:-

खेल-कूद/ड्यूटीमीट तथा इसी स्तर के अन्य खेलों के सर्वांगीण विकास तथा इसमें भाग लेने वाले खिलाड़ियों/प्रतियोगियों के हित में पुलिस आदेश संख्या- 121/84 निर्गत किया गया है, जिसके तहत खिलाड़ियों/प्रतियोगियों को पारी से बाहर प्रोन्नति आदि का लाभ दिये जाने की व्यवस्था है। परन्तु समय-समय पर उक्त आदेश को शिथिल कर कतिपय खिलाड़ियों/प्रतियोगियों तथा कोच को विशेष प्रोन्नति का लाभ दिया गया है। इसमें कुछ विसंगतियों रह जाने की संभावनाओं से इंकार नहीं किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त जो उत्कृष्ट खिलाड़ी जो सालों भर गहण अभ्यास में व्यस्त रहते हैं वे संचालित जे.पी.सी./-ए.पी.सी. एवं एस.एल.सी. प्रशिक्षण में सम्मिलित नहीं हो पाते हैं जिसके [illegible] में प्रोन्नति से वंचित रह जाते हैं, अतः पूर्व के आदेशों में संशोधित कर व्यापक हितकारी बनाने की अनिवार्यता विचारणीय प्रतीत होती है।

अखिल भारतीय पुलिस खेल-कूद प्रतियोगिता हेतु अनुमोदित खेलों, यथा फुटबॉल/वॉलीबाल/बास्केट बाल/कबड्डी/हॉकी आदि टीम स्पर्धा में भाग लेने वाले कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जो काफी अच्छे हैं परन्तु पूरी टीम का अच्छा प्रदर्शन नहीं रहने के कारण उनका टीम अखिल भारतीय स्तर पर मेडल नहीं प्राप्त कर पाती है। इस कारण वैसे उत्कृष्ट खिलाडी अपने बेहतर प्रदर्शन के बाद भी विशेष प्रोन्नति के लाभ से वंचित रह जाते हैं और निराश के कारण दूसरे स्थानों में चले जाते हैं जिससे टीम कमजोर हो जाती है। अतः वर्तमान परिस्थिति में पुलिस आदेश संख्या 121/84 में संशोधन लाकर सुधार आवश्यक एवं हितकर होगा।

पूर्व में जब पुलिस आदेश संख्या 121/84 निर्गत हुआ था उस वक्त बिहार पुलिस में एन.आई.एस. ट्रेन्ड कोचों का सर्वथा अभाव था जिस कारण पुलिस आदेश संख्या 121/84 में इनके संबंध में कोई बात समावेशित नहीं किया जा सका था। वास्तव में प्रशिक्षक [illegible] विकास में विशेष महत्व है। अतः यदि खिलाड़ियों/प्रतियोगियों को बेहतर प्रदर्शन के आधार पर प्रोन्नति आदि का लाभ दिया जाता है तो उनके प्रशिक्षकों को भी इस तरह की सुविधायें देना उचित होगा, क्यों कि इनके द्वारा प्रशिक्षित खिलाड़ी उत्कृष्ट प्रदर्शन कर प्रोन्नति पाकर आरक्षी से आरक्षी निरीक्षक स्तर तक प्रोन्नति पा जाते हैं और उनके प्रशिक्षक आरक्षी के आरक्षी ही रह जाते हैं। प्रशिक्षकों को प्रोन्नति मात्र इस कारण नहीं दिया जाता है कि वर्तमान पुलिस आदेश संख्या 121/84 में कोई प्रावधान समावेशित नहीं है। अतः इनके संबंध में संशोधन लाकर प्रावधान समावेशित करना अनिवार्य हो जाता है। अतः सभी पहलुओं पर विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि वर्तमान पुलिस आदेश 121/84 जिसके तहत खिलाड़ियों/प्रतियोगियों को विशेष प्रोन्नति का लाभ दिया जाता रहा है, इसमें आंशिक संशोधन कर खिलाड़ियों/प्रतियोगियों/एन.आई.एस. ट्रेन्ड कोचों के व्यापक हितकारी बनाया जाय जिसे [illegible]

लाभ सामान्य रूप से एक ही प्रकार से सबों को मिल सके ।

अत: वर्तमान पुलिस आदेश में निम्नांकित संशोधन किया जाता है:-

प्रशिक्षण से मुक्ति:- वर्तमान आदेश:-

यह महसूस किया गया कि खिलाड़ियों एवं प्रतियोगियों को करीब पूरे वर्ष गहन अभ्यास में व्यस्त रहना पड़ता है जिस कारण से संचालित जे.पी.सी./एस.पी.सी. एवं एस.एल.सी. में शरीक नहीं हो पाते हैं और परिणाम स्वरूप प्रोन्नति आदि के अवसरों से पीछे रह जाना पड़ता है जिससे खिलाड़ियों का मनोबल टूट जाता है ।

अत: उनके हितों को देखते हुए यह निर्णय लिया जाता है कि राज्य स्तर के अच्छे खिलाड़ीगण होंगे उनके लिए स्पेशल कोर्स संचालित किया जायेगा। यदि वे टेस्ट में प्रथम बार असफल होते हैं तो उन्हें दो बार और सफल होने का मौका दिया जायेगा । परीक्षा का आयोजन महानिरीक्षक, बि.स.पु.- के द्वारा गठित स्पेशल बोर्ड द्वारा किया जायेगा ।

संशोधित आदेश:-

राज्य स्तर के वैसे खिलाड़ी/प्रतियोगी एवं एन.आई.एस. ट्रेण्ड कोच जो अखिल भारतीय पुलिस खेल-कूद प्रतियोगिता में/ड्यूटी मीट में या इसी स्तर के राष्ट्रीय स्तर के प्रतियोगिता में राज्य का प्रतिनिधित्व किये हों और जो सालों भर गहन अभ्यास में रहे हों को जे.पी.सी./एस.पी.सी. एवं एस.एल.सी. प्रशिक्षण के बदले एक स्पेशल रिफ्रेशर कोर्स में सम्मिलित होना पड़ेगा ताकि उन्हें सभी आवश्यक कार्यों एवं नियम की जानकारी प्राप्त हो सके । यह स्पेशल कोर्स पटना एवं जमशेदपुर में महानिरीक्षक, स.पु.- द्वारा गठित स्पेशल बोर्ड द्वारा संचालित किया जायेगा ।

प्रोन्नति एवं अन्य पुरस्कार:- वर्तमान आदेश

अच्छे-अच्छे खिलाड़ियों को प्रोत्साहन हेतु उचित प्रोन्नति अथवा अन्य पुरस्कार प्रदान करने का भी निम्नांकित निर्णय लिये जाते हैं ताकि उनका मनोबल ऊंचा उठे और [illegible] कर सकें:-

क- जो खिलाड़ी या प्रतियोगी या टीम अखिल भारतीय पुलिस खेल-कूद/ड्यूटी मीट एवं एक्वेटिक प्रतियोगिता आदि में स्वर्ण पदक प्राप्त कर बिहार पुलिस का नाम रौशन करेंगे उन्हें पारी से बाहर विशेष प्रोन्नति देने हेतु महानिदेशक एवं आरक्षी महानिरीक्षक, बिहार द्वारा विचार किया जायेगा ।

जो प्रतियोगी लगातार स्वर्ण पदक प्राप्त करते हैं तो उनकी प्रोन्नति एवं [illegible] प्रोन्नति के बीच दो वर्ष का फर्क रहेगा किन्तु इस बीच उनके संपुष्टिकरण पर विचार किया जायेगा ।

क्र.पृ.उ.- 3/-

ख- यदि कोई खिलाड़ी या प्रतियोगी इन्डिविडुअल इवेंट में लगातार तीन बार द्वितीय अथवा चार बार तृतीय स्थान अखिल भारतीय स्तर पर प्राप्त करते हैं तो उन्हें भी बारी से बाहर विशेष प्रोन्नति देने हेतु आरक्षी महानिरीक्षक, बिहार द्वारा विचार किया जायेगा ।

ग- यदि कोई टीम अखिल भारतीय पुलिस स्तर पर लगातार तीन बार-द्वितीय अथवा चार बार तृतीय स्थान प्राप्त करती है तो उसके सदस्यों में से अच्छे-अच्छे खिलाड़ियों से गठित जांच समिति की अनुशंसा के आधार पर आरक्षी महानिरीक्षक बिहार द्वारा विशेष प्रोन्नति देने हेतु विचार किया जायेगा ।

घ- जो खिलाड़ी या प्रतियोगी अखिल भारतीय पुलिस स्तर पर द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करते हैं तो उन्हें क्रमशः मात्र 800/-रुपया एवं 500/- रुपया का पुरस्कार आरक्षी महानिरीक्षक, बिहार की ओर से प्रदान किया जायेगा । यह आदेश टीम के सभी सदस्यों पर भी लागू होगा ।

च- विशेष प्रोन्नति वाले खिलाड़ियों/प्रतियोगियों की वरियता का [illegible] प्रोन्नत पद पर प्रोन्नति तिथि से किया जाना चाहिए बशर्ते कि वे उस पद पर लगातार [illegible] रूप से कार्य कर रहे हों ।

उपर्युक्त निर्गत तत्कालीन प्रभाव से लागू समझा जायेगा। किन्तु पहले समय-समय पर इस कार्यालय से प्रोन्नति सम्बन्धी जो आदेश निर्गत हुए हैं उसे भी प्रभावी समझा जायगा ।

<u>संशोधित आदेश:-</u>

क- सभी खेलों यथा फुटबाल/भालीबाल/कबड्डी/हॉकी बास्केटबॉल के वैसे खिलाड़ी जिन्होंने [illegible] खेल में देश का प्रतिनिधित्व किया हो या राष्ट्रीय खेलों में कम-से-कम दो बार लगातार बिहार राज्य का प्रतिनिधित्व कर बिहार की ओर से खेला हो उन्हें बारी से बाहर प्रोन्नति [illegible] पर बोर्ड द्वारा विचार किया जा सकता है ।

ख- वैसे एन.आई.एस. ट्रेण्ड कोच जिनकी टीम क्षेत्रीय पुलिस [illegible] चैम्पियनशीप ट्राफी प्राप्त करें उनकी प्रोन्नति पर विचार किया जा सकता है, बशर्ते की उनकी चरित्र पुस्तिका/गोपनीय अभ्युक्तियों के अवलोकन के पश्चात् गठित बोर्ड द्वारा उन्हें प्रोन्नति के लिए योग्य पाया जाय । परन्तु उनकी प्रथम विशेष प्रोन्नति के बाद द्वितीय प्रोन्नति में दो वर्षों का अन्तर होना चाहिए । उक्त सभी प्रोन्नति हेतु बोर्ड का गठन [illegible] द्वारा समय-समय पर किया जायेगा ।

अन्य सुविधाओं के संबंध में पुलिस आदेश में निहित प्रावधान उपयुक्त है । अतः [illegible] लागू रहेगा इस मुद्दे पर संशोधन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है ।

( अरुण कुमार चौधरी )
महानिदेशक एवं आरक्षी महानिरीक्षक, बिहार, पटना ।

ज्ञापांक 8879 /एस.पी.

महानिदेशक एवं आरक्षी महानिरीक्षक का कार्यालय, बिहार, पटना ।

पटना, दिनांक 10 अक्टूबर 90

प्रतिलिपि:-

1- सभी प्रक्षेत्रीय महानिरीक्षक/सभी उप-महानिरीक्षक/सभी क्षेत्रीय उप-महानिरीक्षक/सभी उप-महानिरीक्षक, रे.पु. बिहार / सभी आरक्षी अधीक्षक/सभी समादेष्टा/सभी स०स०नि० सैन्य पुलिस सहित/सभी प्राचार्य/अधीक्षक ए.टी.एस., अपराध-अनुसंधान विभाग, बिहार, पटना /निदेशक वि०वि० प्रयोगशाला, अपराध अनुसंधान विभाग/उपाधीक्षक, एच.क्यू.आर.टी., पटना/ उपाधीक्षक पुलिस [illegible] निदेशक, फोटो ब्यूरो/निदेशक, अंगुलांक, अपराध अनुसंधान विभाग, बिहार, पटना सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ /पी.। प्रशाखा, म.नि. कार्यालय को [illegible] गजट में प्रकाशनार्थ ।

2- महानिदेशक, अपराध अनुसंधान विभाग/विशेष शाखा/निगरानी एवं तकनीकि सेवायें, बिहार, पटना को सूचनार्थ ।

( अरुण कुमार चौधरी )
महानिदेशक एवं आरक्षी महानिरीक्षक, बिहार, प[illegible]

कृष्णदेव/ 15-10-90

07
Thursday
AUGUST
07
Friday
NOVEMBER
07
Saturday